<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—618/14 संस्थित दिनांक— 28.10.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

चिरौंजी पुत्र कल्लू अहिरवार निवासी ग्राम देरासा, पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 20.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 324, 506 भाग—2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—25.09.2014 को फैलीराम के मकान के पास आम रास्ते पर ग्राम देरासा थाना पिपरई में लोक स्थान पर फरियादी मेहरबान को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी मेहरबान को हिसया से स्वच्छैया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—25.09.17 के शामं 04.30 बजे फैलीराम के मकान के पास आम रास्ते पर मेहरबान अ0सा0—1 खडा था उसी समय अभियुक्त चिरौंगी अहिरवार वहां आया और पुरानी रंजिश से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। मेहरबान ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने मेहरबान को हरिया मारा जो उसके बांये हाथ की छिंगली उंगली के पास वाली उंगली में लगा जिससे घाव होकर खून निकलने लगा। उसी समय गांव के भरत व राजपाल यादव आ गये जिन्होंने बचाया व घटना देखी। जब मेहरबान जाने लगा तो अभियुक्त बोला आज तो बचा लिया आईन्दा जान से खत्म कर देंगे। मेहरबान ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना पिपरई में घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। मेहरबान की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक—278 / 14 अंतर्गत

(2) दांडिक प्रकरण क.- 618/14

धारा—294, 324, 506 भाग—2 भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—20.02.14 को फरियादी मेहरबान के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा—294, 506 भाग—2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक—25.09.2014 को फैलीराम के मकान के पास आम रास्ते पर ग्राम देरासा थाना पिपरई फरियादी मेहरबान को हसिया से स्वच्छैया उपहति कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं साक्ष्य को देखते हुए फरियादी मेहरबान सिंह अ०सा0—1 सिहत साक्षी भरत प्रजापित अ०सा0—2 के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी मेहरबान अ०सा0—1 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है की दो वर्ष पूर्व दिपावली के आसपास शामं 04.00—04.30 बजे वह अपने घर की तरफ से आ रहा था तो उसे रास्ते में अभियुक्त मिला जो पुरानी रंजिश पर उसे मां बहन की गालियां देने लगा। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त ने उसे जो गालिया दी थी वो उसे सुनने में बुरी लगी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना पिपरई में जाकर घटना दिनांक को ही लेखबद्ध कराई थी।
- 07— फरियादी मेहरबान अ0सा0—1 अपने मुख्य परीक्षण में ही आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन कहानी के विरूद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं, घटना में अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी तथा फरियादी के अनुसार घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी मेहरबान अ0सा0—1 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधीकर विस्तृत परीक्षण किया गया, परंतु इस साक्षी ने अपने

(3) <u>दांडिक प्रकरण क.- 618/14</u>

संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही घटना में उसके बाये हाथ उंगूली में हिसये से कोई चोट आई।

- 08— अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भरत अ0सा0—2 के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं तथा फरियादी के अनुसार इस साक्षी ने मौके पर बीच बचाव किया था, परंतु भरत अ0सा0—2 ने अभियोजन कहानी एवं फरियादी मेहरबान अ0सा0—1 के कथन भी अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि उसने घटना में कोई बीच बचाव नही किया और न ही उसके सामने अभियुक्त ने फरियादी को हिसये से उसकी बायें हाथ उंगूली में उपहित कारित की।
- 09— अतः फरियादी जो कि स्वयं घटना में आहत है, उसके न्यायालय में यह कथन देने से की घटना में अभियुक्त ने केवल मुंहवाद किया था तथा घटना के समय कोई मारपीट नहीं हुई एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भरत प्रजापित अ0सा0—2 के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देने से अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्त ने दिनांक—25.09.2014 को फैलीराम के मकान के पास आम रास्ते पर ग्राम देरासा थाना पिपरई फरियादी मेहरबान को हिसया से स्वच्छेया उपहित कारित की थी।
- 10— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त चिरौंजी पुत्र कल्लू के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त चिरौंजी पुत्र कल्लू को भा०दं०वि० की धारा—324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त होषित किया जाता है।
- 11— अभियुक्त चिरौं जी पुत्र कल्लू के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन होवे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)